न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/135/2023	2023/536	16.08.2023	30.01.2024

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टहला जिला अलवर।

अपीलाण्ट

बनाम

1. उपवन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का अलवर।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी टहला बाघ परियोजना सरिस्का अलवर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार टहला दिनांक 26.10.2005 नामान्तकरण संख्या 163 वाके ग्राम पालपुर तहसील टहला।

उपस्थितः—

01. श्री दीपक मीना — वकील अपीलाण्ट
02. श्री राजेश कुमार गुप्ता — वकील रेस्पोडेन्ट्स

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील अपने निर्णय दिनांक 26.10.2005 नामान्तकरण संख्या 163 वाके ग्राम पालपुर तहसील टहला जिसके द्वारा इन्तकाल स्वीकार करते समय सिवायचक भूमि आराजी गत खसरा नंबर 166 रकबा 25 बीघा 01 बिस्वा को रेस्पोडेण्ट वन विभाग के नाम दर्ज किया गया, को संशोधित किये जाने इंतकाल एवं दुरूस्त किये जाने राजस्व रिकॉर्ड हेतु पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अपीलाण्ट राज्य सरकार की खातेदारी की आराजी गत खसरा नंवर 166 रकबा 25 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम पालपुर तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। जिस आराजी का राजस्व रिकार्ड पूर्व में गत खसरा नंबर 04 रकबा 145 बीघा 17 बिस्वा वन विभाग के नाम दर्ज थी और आराजी खसरा नंबर 166 रकबा 25 बीघा 01 बिस्वा सिवायचक दर्ज थी और गत आराजी खसरा नंबर 166 रकबा 25 बीघा 01 बिस्वा से वन विभाग रेस्पोडेण्ट का कोई संबंध सरोकार नहीं रहा, किन्तु सैटलमेन्ट संवत 2042 के दौरान बन्दोबस्त के दौरान गत खसरा नंवर 166 रकबा 25 बीघा 01 बिस्वा को रेस्पोडेण्ट के गत खसरा नंबर 04 रकबा 145 बीघा 17 बिस्वा के साथ शामिल करते हुए नया खसरा नंबर 285 रकबा 15.69 हैक्टेयर बना दिया गया जिस आधार पर अपीलाण्ट राज्य सरकार की भूमि को रेस्पोडेण्ट वन विभाग की भूमि में शामिल करते हुए इंतकाल संख्या 163 दिनांक 26.10.2005 को स्वीकार किया गया जिस पर यह अपील पूर्ण वजूहात के साथ पेश की जा रही है। विवादित इंतकाल संख्या 163 को दर्ज करते समय रेस्पोडेण्ट एवं तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों द्वारा कतई गौर नहीं करते हुए मनमाने तरीके से रेस्पोडेण्ट वन विभाग के नाम पर इंतकाल संख्या 163 में गत आराजी खसरा नंबर 166 रकबा 25 बीघा 01 बिस्वा नवीन खसरा नंबर 285 रकबा 15.69 हैक्टेयर में शामिल करते हुए दर्ज किया गया और उसी आधार पर रेस्पोडेण्ट वन विभाग के नाम पर इंतकाल दर्ज किया गया किन्तु दर्ज करते समय उसके पूर्व राजस्व रिकार्ड एवं उनके इन्द्राजात पर कतई गौर नहीं किया गया और इस तथ्य पर गौर नहीं करते हुए अपीलाण्ट राज्य सरकार का नाम कलमजन करते हुए वन

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

विभाग का नाम दर्ज किया गया और आराजी की किस्म सिवायचक के स्थान पर वन भूमि दर्ज की गई जो संशोधित किये जाने योग्य है। वर्ष 2005 में राजस्व अभियानों के दौरान वन विभाग द्वारा वन अधिनियमों के तहत अधिसूचित वन भूमि को राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के नाम अमल दरामद करने हेतु संबंधित तहसीलदारों से पत्राचार कर अपने प्रतिनिधि नियत दिनांक को राजस्व अभियान के दौरान नियत स्थान पर भिजवाये गये थे। तत्समय राजस्व विभाग को ग्राम पालपुर के अधिसूचित गत खसरा नंबर 01 व 04 की खसरा नंबर 184 बीघा 2 बिस्वा व 145 बीघा 17 बिस्वा कुल 329 बीघा 19 बिस्वा रकबा वन भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर नक्शा में तरमीम की जानी थी लेकिन राजस्व विभाग द्वारा तत्समय हाल खसरा नंबर 285 के समस्त 15.69 है0 क्षेत्र को राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के नाम अंकित कर दिया गया, जबकि राजस्थान सरकार की अधिसूचना अनुसार हाल खसरा नंबर 285 के 9.40 है0 क्षेत्र (जो गत खसरा नंबर 04 का है) को ही अमल दरामद किया जाना था। हाल खसरा नंबर 285 का 6.27 है0 क्षेत्र (जो गत खसरा नंबर 166 का है) का अमल दरामद नहीं होना था। इस तथ्य पर कतई गौर नहीं करते हुए विवादित इंतकाल दर्ज किया गया है जो संशोधित किये जाने योग्य है। पूर्व राजस्व रिकार्ड में गत खसरा नंबर 166 रकबा 25 बीघा 01 बिस्वा आराजी वाके ग्राम पालपुर तहसील राजगढ़ अलवर को बिना पूर्व रिकार्ड का अनुसरण किये दर्ज किया गया, जबकि उक्त इंतकाल को दर्ज करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड का अनुसरण किया जाना आवश्यक था, जो संशोधित किये जाने योग्य है। विवादित भूमि सिवायचक भूमि थी जिसका वन विभाग से कोई लेना–देना नहीं है, लेकिन इस तथ्य पर कतई गौर नहीं करते हुए विवादित इंतकाल दर्ज किया गया है जो संशोधित किये जाने तथा भूमि की किस्म एवं अंकन को कलमजन किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। अपील इंतकाल स्वीकार आदेश दिनांक 26.10.2005 को पारित किया गया जिस गलती की जानकारी अपीलाण्ट को हाल ही में नकल जमाबंदी से हुई है, जिससे अपील हाजा अवधि पार होने के कारण पृथक से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 26.10.2005 इंतकाल संख्या 163 को संशोधित किया जाकर विवादित इंतकाल में से गत आराजी खसरा नंबर 166 रकबा 25 बीघा 01 बिस्वा नवीन खसरा नंबर 285 रकबा 15.69 है0 वाके ग्राम पालपुर तह0 टहला के अंकन को कलमजन किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में पूर्व रिकार्ड के मुताबिक सिवायचक दर्ज किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जबाव के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि इंतकाल सं0 163 वन विभाग की है। वन विभाग के नाम खसरा नंबर 285 रकबा 6.27 है0 का दर्ज किया गया है जो कि तहसीलदार राजगढ़ द्वारा तस्दीक किया गया है। इंतकाल सं0 163 दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा सही प्रकार से जांच करते हुए व आदेशों की पालना में उक्त इंतकाल दर्ज किया था जिसकी बाबत समस्त इबारते इंतकाल सं0 163 कर पुस्त पर दर्ज है। अपीलाण्ट किसी प्रकार का कोई संशोधन कराने का अधिकारी नहीं है। वन विभाग द्वारा अधिसूचित वन भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग के नाम अमल दरामद करने हेतु संबंधित तहसीलदारों को लिखा गया था जिसके अनुसरण में तहसीलदार राजगढ़ द्वारा ग्राम पालपुर में खसरा नंबर 285 रकबा 6.27 है0 भूमि को वन विभाग के नाम दर्ज करते हुए इंतकाल सं0 163 दर्ज किया गया था। राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड, वन विभाग के पत्र के अनुसार ही उक्त भूमि को वन विभाग के नाम से दर्ज की थी। तहसीलदार राजगढ़ द्वारा इंतकाल सं0 163 दिनांक 26.10.2005 को स्वीकार किया गया था जिसमें खसरा नंबर 285 रकबा 6.27 है0 भूमि वन विभाग के नाम दर्ज की गई थी। तहसीलदार राजगढ़ द्वारा सभी आवश्यक रिकॉर्ड व राजस्व कर्मचारियों के तस्दीक किये जाने के बाद ही इंतकाल सं0 163 में दर्ज भूमि वन विभाग के नाम दर्ज की थी। दिनांक 30.09.2005 को वन विभाग के कर्मचारी व हल्का पटवारी के साथ रिकॉर्ड का मिलान कर उपरोक्त इन्तकाल वन विभाग के नाम दर्ज किया था। इंतकाल सं0 163 तहसीलदार राजगढ़ द्वारा दर्ज किया गया था जिसको स्वयं के आदेश की अपील करने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही तहसीलदार टहला द्वारा अपील में इस बाबत कथन दर्ज किये गये हैं कि

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार टहला को उक्त अपील प्रस्तुत करने के लिए कब व किस आदेश के तहत अधिकृत किया गया। जिस कारण उपरोक्त अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है। अधिसूचित वन भूमि व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वन भूमि में संशोधन राज्य सरकार की अधिसूचना/आज्ञा के बिना नहीं किया जा सकता है जिस कारण से उपरोक्त अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है। राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या एफ–2 (39) राज./8/85 दिनांक 02.07.1985 से रक्षित वन खण्ड तिलवाड बी घोषित है, जिसमें पालपुर तहसील टहला(राजगढ़) का वन क्षेत्र शामिल है। राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या एफ–2 (39) राज./8/85 दिनांक 02.07.1985 से घोषित रक्षित वनखण्ड तिलवाड बी में ग्राम पालपुर तहसील राजगढ़ के गत खसरा नंबर 1 व 4 का क्रमशः 184 बीघा 2 बिस्वा व 145 बीघा 17 बिस्वा कुल 329 बीघा 19 बिस्वा रकबा वन भूमि सम्मिलित है। ग्राम पालपुर तहसील राजगढ़ के गत खसरा नंबर 1 व 4 का क्रमशः 184 बीघा 2 बिस्वा व 145 बीघा 17 बिस्वा कुल 329 बीघा 19 बिस्वा रकबा वन भूमि को गत नक्शे में वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा लाल स्याही से रेखांकित किया जाकर वन सीमा कायम की गई। भू–प्रबंध विभाग द्वारा बन्दोबस्त 2046 में भू–प्रबंध प्रक्रिया दौरान हाल खसरा नंबर 285 को मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नंबर 166 एवं 4 से बनना अंकित किया है जो गत व हाल नक्शे अनुसार सही है। वर्ष 2005 में राजस्व अभियानों के दौरान वन विभाग द्वारा वन अधिनियमों के तहत अधिसूचित वन भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग के नाम अमल दरामद करने हेतु संबंधित तहसीलदारों से पत्राचार कर अपने प्रतिनिधि नियत दिनांक को राजस्व अभियान के दौरान नियत स्थान पर भिजवाये गये थे। तत्समय राजस्व विभाग को ग्राम पालपुर के अधिसूचित गत खसरा नंबर 1 व 4 की बिन्दु संख्या 5 में अंकित वन भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम की जानी थी। लेकिन राजस्व विभाग द्वारा तत्समय हाल खसरा नंबर 285 के समस्त 15.69 है0 क्षेत्र को राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग के नाम अंकित कर दिया गया। राजस्व विभाग द्वारा हाल खसरा नंबर 285 का समस्त 15.67 है0 क्षेत्र राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जा चुका है जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान लागू होते हैं। उक्त भूमि खसरा नंबर 285 के संपूर्ण रकबे पर वर्तमान में वन विभाग बाघ परियोजना सरिस्का के कब्जे में है तथा वन भूमि के अतिक्रमण आदि से सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा 150 मीटर लम्बाई में व 6 फुट ऊंचाई पक्की दीवार का निर्माण वर्ष 2019–20 में किया हुआ है जिस पर विभाग ने 4.20 लाख रुपये व्यय किये हैं। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में (1997) 2 Supreme Court Cases 267 T.N. GODAVARMAN THIRUMULKPAD Versus UNION OF INDIA AND OTHERS पेश किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपीलान्ट द्वारा विवादित इंतकाल संख्या 163 दिनांक 26.10.2005 की अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 02.08.2023 को पेश की गई है जो करीब 18 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा अपील पेश करने में काफी देरी की गई है फिर भी नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब का माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। उक्त संबध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है।

वकील अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा न0 285 की समस्त आराजी 15.69 है0 वन विभाग के नाम दर्ज कर दी गई जबकि अधिसूचना अनुसार हाल खसरा न0 285 के 9.40 है0 क्षेत्र (जो गत खसरा न0 4 का है) को ही दर्ज व स्वीकार किया जाना चाहिए विवादित खसरा न0 285 का 6.27 है0 रकबा (जो कि गत खसरा न0 166 का हिस्सा है जो संलग्न मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है) को वन विभाग के नाम अमल दरामद नहीं करना चाहिए था। उक्त बाबत् उनवन संरक्षक वाघ परियोजना सरिस्का द्वारा अपने पत्रांक 11746 दिनांक 24.03.2023 से भी जिला कलक्टर अलवर को भी निवेदन किया गया है कि वन विभाग के नाम खसरा न0 285

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

का रकबा 6.27 है0 क्षेत्र का अमल गलत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वन भूमि पूर्व खसरा नंबर 1 व 4 के संपूर्ण संपूर्ण रकबे 329 बीघा 19 बिस्वा का अमल राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग के नाम किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि पूर्व खसरा नंबर 4 का 15.67 है0 रकबा जो वर्तमान खसरा नंबर 3 में शामिल किया जाकर सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है, की तरमीम वन बंदोबस्त नक्शे के अनुसार की जाकर वन विभाग के नाम दर्ज किया जावे एवं खसरा संख्या 285 रकबा 6.27 है0 को पुनः सिवायचक दर्ज किया जाना विधिसंगत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार राजगढ हाल टहला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2005 नामान्तकरण संख्या 163 वाके ग्राम पालपुर तहसील राजगढ हाल टहला निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संतोष कुमार मीणा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)